<u>न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा जिला झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार सोनी
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

नियमित दाण्डिक अपील संख्या : 06/2024
CIS No. : 06/2024

1- भूरालाल पुत्र जगन्नाथ,
2- छीतरलाल पुत्र हजारीलाल
3- कल्याण पुत्र बापूलाल
4- रामदयाल पुत्र बापूलाल
5- राजकुमार पुत्र कल्याण
6- बीरमचंद पुत्र श्यामलाल

निवासीगण सादला, पुलिस थाना जावर, जिला झालावाड़ (राज.)

-अपीलार्थी/अभियुक्तगगण

बनाम

राजस्थान राज्य

-प्रत्यर्थी-

दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374 दप्रसं

विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.07.2024 द्वारा श्री शारिक हुसैन, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना अंतर्गत दाण्डिक प्रकरण सं. 138B/2018 (CIS No. 528/2020)
राजस्थान राज्य बनाम भूरालाल आदि

उपस्थितः-
1. श्री मोहन लाल विजय, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्तगण
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक

<u>निर्णय</u> दिनांकः 11.03.2026

1 यह अपील अपीलार्थी/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 06.07.2024 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्तगण भूरालाल, छीतरलाल, कल्याण, रामदयाल व राजकुमार को आरोपित अपराध धारा 143, 341, 323, 326

भा.द.सं. एवं अपीलार्थी/अभियुक्त बीरमचंद को आरोपित अपराध धारा 143, 341, 323, 326 भा.द.सं. व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर अपीलार्थी/अभियुक्तगण भूरालाल, छीतरलाल, कल्याण, रामदयाल, राजकुमार व बीरमचंद को आरोपित अपराध धारा 143 भा.द.सं. में 15-15 दिवस के साधारण कारावास, धारा 341 भा.द.सं. में 15-15 दिवस के साधारण कारावास, धारा 323 भा.द.सं. में तीन-तीन माह के साधारण कारावास तथा 500-500 रूपये अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड 15-15 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास तथा धारा 326 भा.द.सं. में तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व 3000-3000 रूपये अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड तीन-तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास एवं अभियुक्त बीरमचंद को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में एक वर्ष के साधारण कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

2 मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 22.10.2017 को परिवादी गिरिराज ने पुलिस थाना जावर पर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 20.10.2017 शाम को वह बद्रीलाल जी के ट्रेक्टर में पूजा करके आ रहा था तभी गांव के मंदिर के चौक में भूरालाल लोधा ने उसे रोककर गाली गलौच कर मारपीट की। बीरमचंद ने कहा कि उसकी दुकान के सामने झगड़ा मत करो तो भूरालाल वहां से चला गया व बीरमचंद लोधा ने उसके पास की तलवार की उसके मारी जो उसके हाथ की अंगुली पर लगी। वह चिल्लाया तो उसका भाई विजयसिंह, मुकेश तथा उसकी मां मथरी बाई बीच बचाव करने आये तो छीतरलाल, कल्याण, रामदयाल, राजकुमार ने भी उनके साथ मारपीट की एवं मारपीट कर भाग गए, इत्यादि।

3 उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना जावर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 163/2017, अंतर्गत धारा 323, 324/34 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण भूरालाल, छीतरलाल, कल्याण, रामदयाल व राजकुमार के विरूद्ध धारा 143, 341, 323, 326 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्त बीरमचंद के विरूद्ध धारा 143,341, 323, 326 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम के तहत आरोप पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

4 विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण भूरालाल, छीतरलाल, कल्याण, रामदयाल व राजकुमार को धारा 143, 341, 323, 326 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्त बीरमचंद को धारा 143,341, 323, 326 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5 अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 मुकेश, क्रमांक 2 विजयसिंह, क्रमांक 3 गिर्राज, क्रमांक 4 मथरी बाई, क्रमांक 5 घनश्याम, क्रमांक 6 रामविलास, क्रमांक 7 डॉ. धनराज मीणा के बयान लेखबद्ध किये गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजात प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-20 पेश कर प्रदर्शित करवाए।

6 अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा 313 दप्रसं में लेखबद्ध किए गए जिसमें उसने साक्ष्य अभियोजन को गलत बताया व प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की।

7 विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् अभियुक्तगण भूरालाल, छीतरलाल, कल्याण, रामदयाल व राजकुमार को आरोपित अपराध धारा 143, 341, 323, 326 भा.द.सं. एवं अभियुक्त बीरमचंद को आरोपित अपराध धारा 143, 341, 323, 326 भा.द.सं. व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर अभियुक्तगण भूरालाल, छीतरलाल, कल्याण, रामदयाल, राजकुमार व बीरमचंद को आरोपित अपराध धारा 143 भा.द.सं. में 15-15 दिवस के साधारण कारावास, धारा 341 भा.द.सं. में 15-15 दिवस के साधारण कारावास, धारा 323 भा.द.सं. में तीन-तीन माह के साधारण कारावास तथा 500-500 रूपये अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड 15-15 दिवस के अतिरिक्त् साधारण कारावास तथा धारा 326 भा.द.सं. में तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व 3000-3000 रूपये अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड तीन-तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास एवं अभियुक्त बीरमचंद को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में एक वर्ष के साधारण कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

8 बहस अपील सुनी गई। विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्तगण का निवेदन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दी गई है। रिपोर्ट में तलवार से गम्भीर चोट कारित करने का कथन है जबकि साक्ष्य में किसी भी गवाह ने तलवार से चोट मारना नहीं बताया। इसलिए अनुसंधान के दौरान की गई तलवार की बरामदगी महत्वहीन है। साक्षियों के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। सभी साक्षी एक ही परिवार के हैं और क्रोस केस में अभियुक्त हैं। उनका निवेदन है कि परिवादी की अंगुली के अन्तिम भाग पर कारित गम्भीर चोट के लिए सभी अभियुक्तगण को गलत आधारों पर दोषसिद्ध किया गया है। जबकि गम्भीर चोट कारित किये जाने के संबंध में साक्ष्य अस्पष्ट और विरोधाभासी है। यह भी तर्क दिया कि छः व्यक्तियों द्वारा मारपीट किये जाने पर आहतगण के दो-तीन चोटें पाया जाना संदेहजनक है। आक्षेपित निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

9 विद्वान अपर लोक अभियोजक ने आचौल्य निर्णय का समर्थन करते

हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

10 उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया। पत्रावली का परिशीलन किया गया। अपील के विनिश्चय के लिए न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 06.07.2024 त्रुटिपूर्ण है ?

11 प्रकरण में परिवादी गिरीराज द्वारा दिनांक 22.10.2017 को थाना पर प्रस्तुत परिवाद में उसके साथ बीरम द्वारा तलवार से दाहिने हाथ की अंगूलियों पर चोट मारने व अपने भाई विजय सिंह व माता मथुरी बाई के साथ छीतर, कल्याण, रामदयाल, रामकुमार द्वारा लकड़ियों से मारपीट करने का कथन किया है। इस परिवाद की जाँच के दौरान परिवादी गिरिराज की चोट धारदार होने के आधार पर जाँच अधिकारी घनश्याम एएसआई ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 05.11.2017 को दर्ज करवाई है। यह स्पष्ट नहीं होता कि परिवादी द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना दिये जाने के उपरांत भी किस प्रावधान के तहत जांच कर उसी आधार पर जांच अधिकारी द्वारा अभियोग दर्ज करवाया गया है।

12 न्यायालय के समक्ष साक्षी क्रमांक 03 गिरिराज का कथन है कि उसके साथ भूरालाल, बीरम, कल्याण, राजकुमार, रामदयाल व छीतरलाल ने उसे रोक कर मारपीट की। इनके पास लठ्ठ, गण्डासी, लकड़ियाँ थी। उसके सिर में चोट आई और दायें हाथ की अंगूली पर धारदार हथियार से मारपीट की। साक्षी के अनुसार उसके भाई विजय सिंह, मुकेश व माता बीच बचाव कराने आये तो उनके साथ भी मारपीट की। प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसके विरूद्ध भी इस घटना को लेकर मारपीट का मुकदमा चल रहा है। रिपोर्ट तीन चार दिन बाद दर्ज करवाना बताया है।

13 साक्षी क्रमांक 01 मुकेश एवं साक्षी क्रमांक 02 विजय सिंह परिवादी गिरीराज के भाई हैं उनकी साक्ष्य है कि भूरालाल, बीरम, कल्याण, राजकुमार, रामदयाल व छीतरलाल ने गिरिराज के साथ मारपीट की। उनके पास लट्ठ, गण्डासी व लकड़ियाँ थी। साक्षियों ने बीच बचाव कराने पर अपने व उनकी माता मथरी बाई के साथ भी मारपीट किया जाना बताया है। प्रतिपरीक्षा में साक्षियों ने स्वीकार किया है कि हमारे खिलाफ भी इस घटना को लेकर मुकदमा चल रहा है।

14 साक्षी क्रमाक 04 मथरी बाई परिवादी व उक्त साक्षियों की माता है उसका कथन है कि गिर्राज, विजय सिंह, राजकुमार, बबलू, बीरम, कल्याण, भूरा आपस में लड़ रहे थे। वह बीच बचाव कराने गई तो उसके भी चोटें आ गई। मारपीट बिना किसी कारण हुई थी। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि दोनों ही आपस में लड़े थे।

15 इस प्रकार साक्षियों के कथनों से यह दर्शित होता है कि किसी भी साक्षी ने आहत गिरिराज की अंगुली की गम्भीर चोट तलवार से कारित किया

जाना नहीं बताया है और स्वयं आहत सहित किसी भी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि उक्त चोट किस अभियुक्त द्वारा कारित की गई।

16 प्रकरण आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 23.10.2017 को किया गया हैं। डॉ. धनराज ने साक्ष्य में उपस्थित होकर आहत गिरीराज का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 17 व आहत मथरी बाई का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 20 बनाये जाने व गिरिराज के एक्स रे रिपोर्ट व प्लेट को प्रदर्शित करवाया है। चोट प्रतिवेदन के अनुसार आहत गिरीराज के बाये हाथ, बाईं टांग व बाईं कनपटी के भाग पर कुदं आला की साधारण चोटें पाई गई है तथा दाहिने हाथ की तर्जनी अंगूली पर धारदार चोट पाई गई। जो एक्स रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 18 के अनुसार तर्जनी अंगूली के Distal end (अंतिम सिरे) पर फ्रैक्चर के कारण गम्भीर प्रकृति की पाई गई। आहत मथरी बाई के पैर व पीठ में दर्द की दो साधारण चोटें पाई गई हैं। साक्षी विजय सिंह व मुकेश का चिकित्सीय परीक्षण नहीं करवाया गया है।

17 विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष है कि साक्षियों के बयानों का प्रतिपरीक्षा में अखण्डित रहें हैं। रिपोर्ट दर्ज करवाने में विलम्ब का रिपोर्ट में स्पष्टीकरण पर्याप्त है। रंजिश के कारण झूठा प्रकरण दर्ज करवाने के तथ्य विद्यमान नहीं है। इस सम्बन्ध में साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी गिरिराज, मुकेश व विजय सिंह ने अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने का कथन किया है और प्रतिपरीक्षा में इनकी साक्ष्य का खण्डन नहीं हुआ है। एेसी स्थिति में अभियोजन साक्षियों के कथनों के आधार पर सदोष अवरोध व मारपीट किये जाने के तथ्य के सम्बन्ध में आक्षेपित निर्णय का निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है।

18 विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क है कि आहत गिरिराज की गम्भीर उपहति के सम्बन्ध में साक्ष्य विरोधाभासी व संदेहजनक हैं। इस सम्बन्ध में विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष है कि साक्षियों के बयान 4-5 साल बाद लेखबद्ध किये गये हैं तथा किसी पर अचानक हमला हो जाने की स्थिति में मारपीट में प्रयुक्त हथियार का विवरण स्पष्ट रूप से याद रखना स्वाभाविक नहीं है। विरोधाभाष से संदेह उत्पन्न नहीं होता। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि साक्षी मथरी बाई ने दोनों पक्षों का आपस में लड़ना बताया है। अन्य साक्षियों की प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य प्रकट हुआ है कि इसी घटना के सम्बन्ध में उनके (परिवादी पक्ष के) विरूद्ध भी मुकदमा चला है। अनुसंधान अधिकारी घनश्याम एएसआई ने भी स्वीकार किया है कि विजय सिंह, गिर्राज व मुकेश के विरूद्ध इसी घटना का क्रोस केस दर्ज हुआ था। यद्यपि क्रोस केस के कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किये गये हैं इसलिए यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि दोनों में से कौनसा पक्ष आक्रमणकर्ता था, किन्तु इससे यह दर्शित होता है कि झगड़ा अचानक नहीं हुआ और हथियारों के विरोधाभास के सम्बन्ध में विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष उचित प्रतीत नहीं होता।

19 धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता के संदर्भ में प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया जाए तो यह प्रकट होता है कि चिकित्सक साक्षी डॉ. धनराज ने आहत गिरिराज की चोट सं. 1 को एक्स रे में अस्थि भंग के आधार पर गम्भीर प्रकृति की होना बताया है किन्तु अपनी साक्ष्य में विशिष्ट रूप से यह कथन नहीं किया कि किस अस्थि का भंग था और आहत का एक्स-रे किसके द्वारा किया गया था।

20 प्रकरण में यह भी प्रकट होता है कि प्रत्येक अभियुक्त के विरूद्ध धारा 326 भा.द.सं. का आरोप विरचित किया गया है और उसी अनुसार उन्हें दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 149 भा.द.सं. के अंतर्गत विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में चोट कारित करने का आरोप नहीं है और साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि प्रश्नगत गम्भीर चोट किस अभियुक्त द्वारा कारित की गई थी।

21 प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त बीरम द्वारा आहत गिरिराज की अंगुली पर तलवार से चोट कारित करने का कथन है और अनुसंधान के दौरान अभियुक्त बीरम की निशादेही से एक तलवार बरामद होना बताया गया है। किन्तु न्यायालय के समक्ष आहत गिरीराज सहित किसी भी साक्षी ने तलवार से चोट कारित करना या विशिष्ट रूप से बीरम द्वारा चोट कारित करने का कथन नहीं किया है। इन परिस्थितियों में सभी अभियुक्तगण को धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप के लिए दोषी ठहराया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

22 ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अभियुक्तगण विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य थे और प्रत्येक अभियुक्त द्वारा आहतगण को सदोष अवरूद्ध कर उनके साथ कुंदाला से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की गई। किन्तु आहत गिरिराज की तर्जनी अंगुली पर गम्भीर उपहति कारित करने के बारे में साक्ष्य संदेहजनक तथा अस्पष्ट है। इसलिए अपीलार्थी/अभियुक्तगण अपराध धारा 143, 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं। किन्तु धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने के आधार पर दोषमुक्ति के पात्र हैं।

23 निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी/अभियुक्तगण को धारा 143, 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता एवं अपीलार्थी/अभियुक्त बीरम को धारा 143, 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोपों में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि का निर्णय विधिसम्मत होने से पुष्ट किये जाने योग्य है किन्तु अपीलार्थी/अभियुक्तगण को अपराध धारा 326 भा.द.सं. के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। इसलिए अपीलार्थी/अभियुक्तगण की ओर से यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

24 फलतः अपीलार्थी/अभियुक्तगण भूरालाल पुत्र जगन्नाथ, छीतरलाल पुत्र हजारीलाल, कल्याण पुत्र बापूलाल, रामदयाल पुत्र बापूलाल, राजकुमार पुत्र कल्याण, बीरमचंद पुत्र श्यामलाल, निवासीगण सादला, पुलिस थाना जावर, जिला झालावाड़ (राज.) द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.) द्वारा दाण्डिक प्रकरण संख्या 138B/2018 (CIS No. 528/2020) बउनवानी "राजस्थान राज्य बनाम भूरालाल आदि" में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 06.07.2024 की धारा 143, 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध की दोषसिद्धि की सीमा तक पुष्टि की जाती है एवं अपीलार्थी/अभियुक्तगण को धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से दोषसिद्धि के आदेश व दण्डादेश को अपास्त किया जाता है

25 **दण्ड के प्रश्न** पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्तगण का निवेदन है कि अपीलार्थीगण का पूर्व का कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है। वे वर्ष 2018 से अन्वीक्षाधीन हैं और इस घटना के बाद किसी आपराधिक प्रकरण में लिप्त नहीं हुए हैं। अतः उनके प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया।

26 समस्त तर्को पर गम्भीरतार्पूवक मनन करने के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है। अपीलार्थी/अभियुक्तगण ने इस प्रकरण में वर्ष 2018 से अन्वीक्षा का सामना किया है। उन्हें धारा 143, 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता व अपीलार्थी/ अभियुक्त बीरम को अतिरिक्त रूप से धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। प्रकरण के समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं अपराध की दण्ड की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी/अभियुक्तगण को तुरन्त दण्डित न करते हुए उनके विरूद्ध धारा 143, 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोप में पारित दण्डादेश को अपास्त किया जाकर उन्हें परिवीक्षा पर मुक्त किया जाना उचित है। साथ ही अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन व्यय भी अधिरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

27 फलतः अपीलार्थी/अभियुक्तगण भूरालाल पुत्र जगन्नाथ, छीतरलाल पुत्र हजारीलाल, कल्याण पुत्र बापूलाल, रामदयाल पुत्र बापूलाल, राजकुमार पुत्र कल्याण, बीरमचंद पुत्र श्यामलाल, निवासीगण सादला, पुलिस थाना जावर, जिला झालावाड़ (राज.) द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

द्वारा दाण्डिक प्रकरण संख्या 138B/2018 (CIS No. 528/2020) बउनवानी "राजस्थान राज्य बनाम भूरालाल आदि'' में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 06.07.2024 की धारा 143, 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध की दोषसिद्धि की सीमा तक पुष्टि की जाती है एवं अपीलार्थी/अभियुक्तगण को धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से दोषसिद्धि के आदेश व दण्डादेश को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी/अभियुक्तगण को धारा 143, 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध के लिये तुरंत कारावास से दण्डित किये जाने की बजाय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के अधीन निम्न शर्तो पर उन्हें परिवीक्षा पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि-

अपीलार्थी/अभियुक्तगण **तीस दिवस की अवधि के भीतर** विद्वान विचारण न्यायालय के समाधानप्रद एक वर्ष की अवधि के लिये 10,000/- रूपये की एक जमानत व इसी राशि का स्वयं का बंधपत्र इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें कि वे उक्त अवधि में शांति व सदाचार बनाए रखेंगे, उक्त अवधि में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे एवं बंधपत्र की शर्तो का उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित होंगे तो उनको परिवीक्षा पर मुक्त कर दिया जाए। साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त पर 2500/- रूपये कुल 15,000/- रूपये अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाता है।

28 यदि अपीलार्थी/अभियुक्तगण तीस दिवस की अवधि में उपरोक्तानुसार जमानत-मुचलके व अभियोजन व्यय विचारण न्यायालय के समक्ष पेश करने में असफल रहते हैं तो वे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अपराध के लिए पारित दण्डादेश भुगतेंगे।

29 निर्णय की प्रति सहित विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तत्काल लौटाया जावे।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा
जिला झालावाड़ (राज.)

30 निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा
जिला झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

ABDUL WAJID CHISTY

Steno Gr. I
''Authenticate Document"
Digitally signed by ABDUL WAJID CHISTY
Date: 2026.03.12 10:49:15 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।